



| तारीख<br>हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज   | नंबर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>की तामील में जा |
|---------------|---|--|
| 30<br>2021    | <p>पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। परोक्तर सरकार एवं वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में वहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने वहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया। वहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 21.05.2018 का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम चला स्थित वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अन्य की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 है तथा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण भूमि की पत्थरगढी का अनुतोष चाहा है। अतः अन्य सह खातेदार एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।</p> <p style="text-align: center;"> <br/> <b>(बृजेश कुमार)</b><br/> उपखण्ड अधिकारी<br/> नीमकाथाना (सीकर) </p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मोठूका स्थित भूमि खसरा नंबर 1047 रकबा 0.18 है० की प्रार्थी, अन्य सह खातेदार एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान 15.06.2018 पत्थरगढी की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> <br/> <b>(बृजेश कुमार)</b><br/> उपखण्ड अधिकारी<br/> नीमकाथाना (सीकर) </p> |  |